झारखण्ड सरकार

तृतीय झारखण्ड विधान सभा के अष्टम् (बजट) सत्र
(5 मार्च, 2012 से 31 मार्च, 2012)

के अवसर पर

महामहिम राज्यपाल
डॉ० सैयद अहमद
का
अभिभाषण

मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग
झारखण्ड, राँची

5 मार्च, 2012

तृतीय झारखण्ड विधान सभा के अष्टम् (बजट) सत्र, 2012 में
महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण

अध्यक्ष महोदय एवं माननीय सदस्यगण,

तृतीय झारखण्ड विधान सभा के अष्टम् (बजट) सत्र एवं नव वर्ष 2012 के प्रथम सत्र में मैं आप सभी माननीय सदस्यों का हार्दिक अभिनन्दन करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ और झारखण्ड की जनता को खुशहाल और समृद्ध होने की शुभकामनाएँ देता हूँ। मेरा सौभाग्य है कि मुझे इस प्राकृतिक सौंदर्य एवं अतुलनीय प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध प्रदेश के राज्यपाल के रूप में कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ है। झारखण्ड राज्य जितना अपने प्राकृतिक सौंदर्य एवं सम्पदाओं के लिए प्रसिद्ध है, उतना ही यहां के लोगों की सरलता और प्राचीन सांस्कृतिक धरोहर उल्लेखनीय है।

2. हमें आप सबों पर नाज है कि आपने इस राज्य और इसकी आवाम को तरक्की के रास्ते पर आगे ले जाने की जिम्मेवारी अपने मजबूत कंधों पर उठा रखी है।

मुझे आशा है कि राज्य के इस सबसे बड़े पंचायत में आप सभी झारखण्ड के चहुँमुखी विकास एवं जनता की आकांक्षाओं को पूरा

करने से संबंधित मुद्दों को प्रभावशाली ढंग से रखकर प्रदेश के विकास में अपना सक्रिय सहयोग देंगे, समर्थन देंगे।

3. हमारी सरकार प्रदेश को सकारात्मक नेतृत्व प्रदान करने, सामाजिक न्याय और सौहार्द्र स्थापित करने, राजनीतिक स्थिरता उपलब्ध कराने एवं समाज के सभी वर्गों को विकास की मुख्य धारा में शामिल करने हेतु कृतसंकल्प है। मुझे खुशी है कि सरकार जनता की आकांक्षाओं एवं आशाओं को पूरा कर रही है।

4. भारत के मानचित्र पर सशक्त राज्य के रूप में उभरता हुआ झारखण्ड असीम संभावनाओं से परिपूर्ण है। सरकार द्वारा झारखण्ड की जनता को खुशहाल एवं समृद्ध बनाने के लिए गंभीर प्रयास किये जा रहे हैं।

5. मेरी सरकार का मुख्य लक्ष्य है राज्य का समावेशी एवं सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करना। समाज के हर हिस्से के लिए बिना कोई फ़र्क किये राज्य में भय, अपराध और अन्याय से आजाद माहौल बनाना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। हमारी सरकार को इस बात का पूरा अहसास है कि बिना अम्नो–शान्ति के तरक्की की बुलन्दियाँ हासिल नहीं की जा सकती। राज्य की आर्थिक तरक्की औंर सामाजिक सौहार्द तभी संभव है जब आमजन अपने

को सुरक्षित और संरक्षित महसूस करे। हमारी सरकार यह विश्वास दिलाती है कि उसकी कोशिशों से राज्य में शान्ति–सुकून और तरक्की का माहौल कायम रहेगा।

6. मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे राज्य को कुदरत ने खूब आशीर्वाद दिया है। हमारे राज्य में देश की चालीस फीसदी से ज्यादा खनिज की दौलत मौजूद है। हम दूरगामी विजन के साथ काम कर रहे हैं, जिससे न केवल अपने राज्य की तरक्की होगी बल्कि हमारे देश की भी तरक्की होगी।

7. सेकन्डरी और सेवा सेक्टर की प्रधानता के इस दौर में भी हम यह नहीं भूले हैं कि हमारे राज्य की 70 फीसदी आबादी अभी भी खेती–किसानी से जुड़ी हैं। राज्य में अनाज की पैदावार बढ़े एवं किसानों की हालत सुधरे इस मुद्दे पर हमारी सरकार खास ध्यान दे रही है। सिंचित भूमि की बढ़ोतरी, उन्नत बीज–खाद, पोस्ट–हार्वेस्ट तकनीक और किसानी से जुड़ी अन्य गतिविधियों की तरक्की हमारी सरकार की प्राथमिकता में शामिल हैं। इसी नीति के तहत इस वर्ष लगभग पचास हजार क्विंटल धान, अरहर, मकई, सरसो, सूर्यमुखी के उन्नत बीजों का 50 प्रतिशत अनुदान पर किसानों में वितरण किया गया।

8. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना के माध्यम से राज्य के 17 जिलों में दलहन की उत्पादकता एवं उत्पादन में वृद्धि तथा क्षेत्र विस्तार का प्रोग्राम चलाया जा रहा है। राज्य में लोहरदगा, राँची, रामगढ़, हजारीबाग, जमशेदपुर में सब्जी को सुखाने एवं निर्जलीकरण हेतु पाँच इकाइयाँ स्थापित की जा रही हैं। रब्बी की फसल के लिये लगभग 55250 क्विंटल बीज किसानों को मुहैय्या करवाया गया है। उन्नत बीजों के हासिल होने एवं अच्छे मानसून के कारण राज्य के किसानों ने 50 लाख मैट्रीक टन धान का रिकार्ड पैदावार किया है। राज्य में धान अधिप्राप्ति योजना अन्तर्गत लैम्पस/पैक्स के माध्यम से किसानों से धान की खरीद की जा रही है।

9. हमारी सरकार सिंचाई बढ़ोत्तरी के मद्देनजर कई कदम उठा रही है। खेती की तरक्की का राज सिचाई की बढ़ोत्तरी में छूपा है। विभिन्न जलाशय योजनाओं को पूर्ण कर हमारी सरकार द्वारा सिचाई की सुविधा बढ़ाने की कोशिशें जारी हैं, जिसके अंतर्गत छः हजार पाँच सौ दस हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का सृजन किया गया है। लघु सिचाई योजनाओं के अंतर्गत दो हजार दस हेक्टेयर ह्रासित सिंचाई क्षमता को पुनर्जीवित किया गया

है। मार्च 2011 तक लगभग 7.50 लाख हेक्टेयर में सिंचाई क्षमता का सृजन हुआ जो अधिकतम सिंचाई क्षमता का लगभग 31.00 प्रतिशत है।

10. सुवर्णरेखा परियोजना में चांडिल जलाशय एवं गालूडीह बराज का कार्य पूर्ण हो गया है अब किसान इससे सिंचाई का लाभ ले सकेंगे।

11. सुखाड़ग्रस्त पलामू जिला के पांकी प्रखंड मुख्यालय के पास अमानत नदी पर 450 मीटर लंबाई के बराज का शीर्ष कार्य, गेट सहित पूर्ण हो गया है। नहर निर्माण कार्य भी प्रगति पर है। गुमानी बराज योजना का कार्य मार्च 2012 तक पूर्ण किये जाने का लक्ष्य है। योजना पूर्ण होने पर लगभग 16000 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता का सृजन होगा। दुमका जिलान्तर्गत सुन्दर जलाशय योजना एवं कझिया वीयर योजना का विस्तारीकरण, आधुनिकीकरण एवं पुनरुद्धार का कार्य प्रगति में है जिसके पूर्ण होने पर 9135 हेक्टेयर में ह्रासित सिंचाई क्षमता पुनर्स्थापित हो पायेगी। कमांड क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत मयूराक्षी बायाँ तट नहर का कार्य प्रारंभ हो चुका है। वर्ष 2010–11 में खरीफ एवं रब्बी के मौसम में इन जलाशयों से कुल 66,603 हेक्टेयर में सिंचाई सुविधा

उपलब्ध करायी गयी। जल संसाधन विभाग के वेब–साईट का शुभारम्भ हो चुका है। विभाग में पिछले 25 वर्षो से कार्यरत 970 कार्यभारित कर्मचारियों को नियमित किया गया। इस विभाग में 50 लाख से अधिक राशि की निविदाओं के लिए ई–टेन्डरिंग पूर्णतः लागू हो चुका है।

12. जवानों के बीच शिक्षा का प्रसार, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल वृद्धि हमारी सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। राज्य के नवजवानों को व्यवसायिक एवं तकनीकी प्रशिक्षण के रास्ते रोजगार–स्वरोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध करवाने हेतु सभी अनुमंडलों में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान एवं जिलों में महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने की प्रक्रिया अन्तिम चरण में है।

13. केन्द्र प्रायोजित स्कीमों के तहत राज्य के चार औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को **"सेन्टर फॉर एक्सेलेन्स"** के रूप में स्थापित किया जा रहा है। इसके तहत विद्यालय से बीच में ही पढ़ाई छोड़ चुके छात्रों एवं गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले युवक युवतियों को स्वरोजगार प्राप्त करने हेतु निःशुल्क तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।

14. **नॉलेज सिटी** की स्थापना के लिए राँची–खूंटी रोड के पास भूमि आदि संसाधन उपलब्ध करवाने की प्रक्रिया अन्तिम चरण में है।

15. झारखण्ड राज्य का गौरव बी0आई0टी0, सिन्दरी के आधुनिकीकरण एवं विस्तार हेतु पिछले वित्तीय वर्ष में 300 बिस्तर वाले एक छात्रावास एवं क्लास रूम कम्पलेक्स के निर्माण हेतु अनुमति प्रदान कर दी गयी है, साथ ही सभी संकायों में छात्र प्रवेश क्षमता दुगुणा करने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

16. सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों की छात्राओं में उच्च विद्यालय की शिक्षा के प्रोत्साहन के लिए साईकिल वितरण की योजना शुरू की गई है और उक्त योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2011–12 में लगभग 2,31,500 साईकिल वितरण का इरादा है।

17. राज्य के नक्सल प्रभावित 9 जिलों यथा, लोहरदगा, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिम सिंहभूम, पलामू, गढ़वा, लातेहार, चतरा, बोकारो एवं हजारीबाग में 'आश्रम विद्यालयों' की स्थापना की स्वीकृति प्रदान की गई है। इन विद्यालयों में कक्षा 06 से 12 तक की पढ़ाई करायी जाएगी।

18. राज्य सरकार की निरन्तर कोशिश है कि राज्य में प्रारम्भिक, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा की तरक्की क्वालिटी के साथ हो। सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम को निःशुल्क और बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के मद्देनजर पूरी मजबूती से लागू किया जा रहा है। राज्य के प्रारम्भिक शिक्षा प्राप्त कर रहे लगभग 36 लाख बच्चों को मध्याह्न भोजन योजना, निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों की सुविधा, मेधा छात्रवृत्ति एवं अन्य सुविधायें उपलब्ध करायी जा रही हैं।

19. राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत् माध्यमिक शिक्षा के विकास हेतु अनेक कदम उठाये गये हैं। इस कार्यक्रम के तहत् 597 मध्य विद्यालयों को उच्च विद्यालयों में उत्क्रमित किया जा चुका है तथा 297 मध्य विद्यालयों को उच्च विद्यालयों में उत्क्रमण करने की कार्रवाई की जा रही है। राज्य में शैक्षिक दृष्टिकोण से पिछड़े 203 प्रखण्डों में अंग्रेजी माध्यम के मॉडल विद्यालयों की स्थापना की जा रही है। अबतक 40 प्रखण्डों में अंग्रेजी माध्यम के मॉडल विद्यालयों में पठन–पाठन कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। बालिकाओं की शिक्षा को सुदृढ़ करने के लिए

शैक्षणिक दृष्टिकोण से पिछड़े 203 प्रखण्डों में बालिकाओं हेतु छात्रावास निर्माण की योजना है।

20. उच्च शिक्षा के अन्तर्गत राज्य में अवस्थित 5 विश्वविद्यालयों और इन विश्वविद्यालयों के अन्तर्गत संचालित महाविद्यालयों को सुदृढ़ करने की योजना है। राज्य में स्थापित किये गये विधि विश्वविद्यालय एवं केन्द्रीय विश्वविद्यालय को सुदृढ़ करने हेतु राज्य की सरकार कृतसंकल्पित है। चतरा, सरायकेला –खरसावां एवं लातेहार जिले में एक–एक मॉडल महाविद्यालय की स्थापना की कार्रवाई प्रारम्भ की जा चुकी है।

21. **15 नवम्बर 2011 से 15 नवम्बर 2012** तक मनाया जाने वाला **'बिटिया वर्ष एवं बचपन बचाओ'** हमारी सरकार की एक महत्वाकांक्षी प्रगतिशील योजना है।

22. राज्य के 12वें स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर हमारी सरकार ने **'मुख्यमंत्री लक्ष्मी लाड़ली योजना'** का शुभारम्भ किया है। इसके अन्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर कर रही आबादी एवं वैसे सभी परिवार जिनकी वार्षिक आय 72000/– रूपये से कम है, में नवजात बालिकाओं के संरक्षण, शिक्षा एवं सुरक्षित भविष्य के लिए यह योजना प्रारंभ की गयी है।

इस योजना का उद्देश्य पुत्री के जन्म से समाज में फैली हीन भावना का अंत, कन्या भ्रूण हत्या पर रोक, बालिका के शिक्षा में सुधार, उनके विवाह में आनेवाली परेशानी, बाल विवाह प्रथा का अन्त एवं संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना है। इस योजना के अंतर्गत बालिका के कक्षा–6 में प्रवेश करने पर 2000/–रूपये कक्षा–9 में 4000/–रूपये, कक्षा–11 में 7500/–रूपये का भुगतान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त 11वीं एवं 12वीं कक्षा में प्रतिमाह 200/–रूपये का स्कॉलरशिप दिया जाय। इस योजना की सबसे खास बात यह है कि बालिका की उम्र 21 वर्ष होने तथा 12वीं की परीक्षा में सम्मिलित होने पर, उसे एक लाख ग्यारह हजार रूपये एकमुश्त भुगतान किया जायेगा।

23. **'किशोरी स्वास्थ्य स्वच्छता कार्यक्रम'** का शुभारम्भ हुआ है। इसके अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली 10 से 19 वर्ष की किशोरी बालिकाओं को स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के प्रति जागरुक करने के कार्यक्रम शामिल है। 'पूरक पोषाहार कार्यक्रम' के अंतर्गत माह जनवरी 2012 तक अपने राज्य में लगभग तैंतीस लाख महिलायें एवं बच्चे लाभान्वित हुए हैं। इस योजना पर अब तक लगभग 236 लाख रुपये की राशि खर्च की जा चुकी है ।

24. **'सबला योजना'** के तहत किशोरी बालिकाओं को पूरक पोषाहार उपलब्ध कराया जा रहा है। **'मुख्यमंत्री कन्यादान'** योजनान्तर्गत उपलब्ध करायी जा रही आर्थिक सहायता राशि 10 हजार रुपये को बढ़ाकर 15 हजार रुपये की गयी है। जनवरी 2012 तक कुल पाँच हजार अस्सी गरीब बच्चियाँ लाभान्वित हुई हैं।

25. भारत सरकार एवं राज्य की सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं एवं कार्यक्रमों के माध्यम से इस राज्य के स्वास्थ्य सूचकांकों को राष्ट्रीय औसत से बेहतर लाने हेतु हमारी सरकार कृत संकल्प है।

26. हमारी सरकार द्वारा एन0आर0एच0एम0 के विभिन्न कार्यक्रमों को कार्यान्वित कर, शिशु मृत्यु दर में, राष्ट्रीय औसत 50 से बेहतर 44 का औसत प्राप्त किया गया है, जिसे वर्ष 2017 में 30 तक लाने का हमारा लक्ष्य है। इसी प्रकार मातृ मृत्यु दर में 2001 की तुलना में 400 के राष्ट्रीय औसत के स्थान पर राज्य में 261 का औसत प्राप्त किया गया है जिसे वर्ष 2017 तक 150 से भी कम करने का हमारा लक्ष्य है।

27. स्वास्थ्य सुविधाओं को समाज के अन्तिम व्यक्ति तक पहुँचाने के लिए आधारभूत संरचना के निर्माण हेतु सुदूरवर्ती क्षेत्रों से लेकर शहरी क्षेत्रों में विभिन्न स्तरों के लिए 06 से 500 शय्या वाले विभिन्न अस्पतालों के लिए 1627 भवनों का निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया है जिसमें से लगभग 225 भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है एवं शेष का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

28. राज्य में स्वास्थ्य सुविधा के उन्नयन के लिए नये चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना हेतु सार्वजनिक लोक उपक्रम के एच0ई0सी0, राँची, सी0सी0एल0, राँची एवं बी0एस0एल0, बोकारो को अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया गया है एवं इसे शीघ्र प्रारंभ करने हेतु लगातार कोशिशें की जा रही हैं। साथ ही संतालपरगना प्रमण्डल के दुमका एवं कोल्हान प्रमण्डल के खरसावाँ में 500 बिस्तर वाले अस्पताल भवन निर्माण की योजना शुरु की गई है जिसे बाद में मेडिकल कॉलेज के रुप में संचालित करने का भी इरादा है।

29. राज्य में अति गम्भीर रुप से कुपोषित बच्चों की पहचान कर उनके प्राथमिक उपचार की व्यवस्था करने हेतु **'जीवन–आशा'** कार्यक्रम वित्तीय वर्ष 2012–13 से आरम्भ की जा

रही है। ऐसे बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण के लिए समुदाय आधार पर जागरुता अभियान चलाया जायगा।

30. गाँवों में रोजगार का सृजन कर ग्रामीणों के जीवनस्तर को सम्मुन्नत करना सरकार की प्राथमिकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा के माध्यम से रोजगार सुनिश्चित कर गैर–कृषि दिनों के पलायन को रोकने में हमने सफलता पाई है। चालू वित्तीय वर्ष में बारह लाख उन्तीस हजार एक सौ सड़सठ निबंधित परिवारों द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत कार्य की मांग की गयी और बारह लाख बाईस हजार दो सौ छियान्बे परिवारों को कार्य उपलब्ध कराते हुए 381 लाख मानव दिवस का सृजन किया गया है। मनरेगा श्रमिकों को अपने पंचायत में ही मजदूरी का भुगतान की सुविधा उपलब्ध कराने के लिये प्रत्येक पंचायत कार्यालय में पंचायत बैंक की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है। चालू वित्तीय वर्ष में 70 से अधिक पंचायतों में पंचायत बैंक की स्थापना की जा चुकी है। झारखण्ड देश का पहला राज्य है जहाँ मनरेगा के निबंधित मजदूरों को 'राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना' का लाभ मिलना प्रारम्भ हो गया है।

31. सांसद एवं विधायक योजना के अतिरिक्त मुख्य मंत्री विकास योजना एवं मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना के अंतर्गत आधारभूत संरचनाओं का निर्माण कराया जा रहा है, जिससे न केवल ग्रामीण क्षेत्रों की तस्वीर बदल रही है बल्कि ग्रामीण आर्थिक रूप से अधिक संपन्न हो रहे हैं।

32. 'प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना' के अधीन दिसम्बर 2011 तक 1975.00 करोड़ रूपये के व्यय से 1340 योजनाओं एवं लगभग सात हजार कि0मी0 पथ निर्माण का कार्य पूर्ण कराया जा चुका है जिससे राज्य में 3784 अनजुड़े गाँव–टोलों को अभी तक जोड़ा गया है। राज्य के 14 उग्रवाद प्रभावित जिलों के लिए 250 से अधिक आबादी वाले अनजुड़े गाँव–टोलों को जोड़ने के लिए भारत सरकार से पुनरीक्षित कोर नेटवर्क की स्वीकृति सिद्धांततः प्राप्त हो गई है इससे 4500.00 कि0मी0 ग्रामीण पथों का निर्माण हो सकेगा एवं 1284 गाँव–टोलों पक्की सड़क से जुट जायेंगे। स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना के तहत 6526 स्वयं सहायता समूहों को चक्रित निधि प्रदान की गई है तथा 4145 स्वयं सहायता समूहों को आर्थिक गतिविधियों से जोड़ा गया है।

33. राज्य में 32 वर्षों के बाद पंचायत चुनाव सम्पन्न होना राज्य सरकार की अतिमहत्वपूर्ण उपलब्धि है। पंचायत शासन व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए पंचायत सचिवालय के लिए आवश्यक आधारभूत संरचनायें प्राथमिकता पर उपलब्ध करायी जा रही हैं। क्षमता विकास योजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायत के निर्वाचित जन प्रतिनिधियों को प्रशिक्षित किया जाना है, जिससे कि पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ किया जा सके।

34. **'पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष योजना'** के तहत 2007 पंचायत भवन, दो हजार एक सौ सड़सठ आँगनबाड़ी केन्द्र, 64 स्वास्थ्य उपकेन्द्र, 432 पुल/पुलिया, 413 सड़क एवं 214 अन्य योजनाओं को पूर्ण किया जा चुका है। ग्रामीण स्तर तक राजस्व प्रशासन के सुदृढ़ीकरण हेतु भू–अभिलेखों यथा खतियान एवं भू–मानचित्रों के कम्प्यूटरीकरण का कार्य प्रारम्भ हो गया है।

35. अनुसूचित जनजातियों की अवैध रूप से अन्तरित जमीन की वापसी हेतु दायर किये गये मुकदमों में रू. 5000/– प्रतिवाद की दर से वैधिक सहायता प्रदान की जाती है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2011–12 में कुल 522 वादों में वैधिक सहायता प्रदान करने हेतु 26 लाख रूपये जिलों को उपलब्ध करा दिये गये हैं।

आगामी वित्तीय वर्ष 2012–13 में कुल 1100 वादों कानूनी सहायता प्रदान करने हेतु कुल रू. 55.00 लाख का वित्तीय लक्ष्य निर्धारित किया जा रहा है।

36. अनुसूचित जनजातियों की वापस करायी गई भूमि पर कृषि कार्य को पुनर्जीवित करने हेतु रू. 5000/– प्रति एकड़ की दर से आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। गाँवों की गरीबी उन्मूलन के प्रयत्नों के साथ–साथ शहरी मलिन बस्तियों में रहने वाले गरीब परिवारों के विकास एवं आवश्यक नागरिक सुविधाएँ उपलब्ध करवाने के लिए हमारी सरकार कटिबद्ध हैं।

37. राज्य की सरकार शहरी गरीबी उन्मूलन एवं मलिन बस्ती (स्लम) विकास की योजनाओं को मूर्त रूप देकर बेरोजगारी एवं कुपोषण दूर करने का कार्य कर रही है और स्वास्थ्य, शिक्षा एवं स्व–नियोजन को बढ़ावा दे रही है। जवाहर लाल नेहरू अरबन रिनिउल मिशन के अन्तर्गत राज्य में स्वच्छ पेयजलापूर्ति, सम्पूर्ण स्वच्छता, सिवरेज ड्रेनेज सिस्टम एवं शहरी वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम को कार्यान्वित किया जा रहा है।

38. शहरी क्षेत्रों में किये गये अनाधिकृत/विचलित निर्माण के नियमितीकरण हेतु अध्यादेश लाया गया है। शहरी क्षेत्रों

में अतिक्रमण हटाये जाने के फलस्वरूप बेघर हुये परिवारों के पुनर्वास के लिये नीति बनाई गई है, जिसके अंतर्गत अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन पुनर्वास की व्यवस्था की जा रही है। बी0एस0यू0पी0 योजना के तहत 8000 से अधिक अल्पव्ययी आवासों के निर्माण हेतु कार्रवाई की जा रही है।

39. शहरों में फेरी करके जीविका यापन करने वाले परिवारों की आजीविका, सुरक्षा, कल्याण एवं पुनर्वास के लिए हमने नया कानून बनाया है।

40. शहरी नागरिकों को बेहतर नगरीय सुविधायें यथा–पेयजलापूर्ति, साफ–सफाई, पथ प्रकाश एवं शहरी गरीबों के स्वरोजगार आदि के लिए विभिन्न महत्वपूर्ण योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं और इसके लिए 39 शहरी निकायों को राशि उपलब्ध करायी जा चुकी है।

41. **'जल है तो कल है'** के मिशन के अनुरूप हमारी सरकार शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में नयी जलापूर्ति योजनाओं के निर्माण एवं पुराने स्रोतों का जीर्णोद्धार कर सभी नागरिकों को शुद्ध एवं समुचित मात्रा में पेयजल सुलभ कराने के दिशा में काम कर रही है। सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत बी0पी0एल0,

ए0पी0एल0 परिवारों के लिए घरेलू शौचालय, आँगनबाड़ी केन्द्रों एवं विद्यालयों में स्वच्छता से संबंधित योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

42. हमारी सरकार द्वारा साहेबगंज जिला में 26 आर्सेनिक प्रभावित ग्रामों एवं 7 फ्लोराईड प्रभावित ग्रामों सहित 58 गाँवों में पेयजलापूर्ति हेतु जलापूर्त्ति योजना लगभग 139 करोड़ रुपये की लागत से प्रारम्भ की गयी है। हमारी सरकार द्वारा 1000 से अधिक आबादी वाले गॉवों में 4197 अद्द छोटी ग्रामीण जलापूर्त्ति योजना का निर्माण कराया जा रहा है।

43. जवाहर लाल नेहरू अरबन रिन्यअल मिशन के अन्तर्गत स्वीकृत राँची एवं धनबाद शहरी जलापूर्त्ति योजना का कार्य प्रगति में है। साहेबगंज शहरी जलापूर्त्ति योजना का कार्य प्रारम्भ हो गया है।

44. राज्य की सड़कें तरक्की की रगें हैं। क्वालिटी की लहू इन्ही रगों से पूरे राज्य में दौड़ता है। गुणवत्तापूर्ण सड़कों का निर्माण तेज गति से हो इसके लिए हमारी सरकार पाबंद है। वर्ष 2011–12 में 1230 करोड़ की कुल 97 योजनाएँ स्वीकृत की गई हैं। इसमें 76 पथ योजना का कार्य किया जायेगा एवं 21 पुलों का

निर्माण कार्य किया जाएगा। सरकार द्वारा निविदा प्रक्रिया सरल एवं पारदर्शी करने हेतु **ई–टेण्डर की व्यवस्था** लागू की गई है।

45. एशियन विकास बैंक के सहयोग से गोबिन्दपुर–जामताड़ा –दुमका– बरहेट–साहेबगंज पथ का उन्नयन, पुनरूद्धार, चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण का कार्य गति में है। साहेबगंज में बिहार एवं बंगाल सीमा पर गंगा नदी पर लोक निजी भागीदारी से पुल का निर्माण, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किये जाने का निर्णय लिया गया है।

46. हमारी सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के माध्यम से सरकारी सेवाएँ जनता को उपलब्ध कराने के लिए झारनेट, प्रज्ञा केन्द्र, ई–नागरिक, विडियो कान्फ्रेंसिंग, जेल–न्यायालय में कैदी ट्रायल, भू–निबंधन, कोषागार कम्प्यूटरीकरण, वाणिज्यकर कम्पयूटरीकरण एवं भविष्यनिधि कम्प्यूटरीकरण का कार्य किया जा चुका है। प्रज्ञा केन्द्र के माध्यम से आम जनता को ई–नागरिक यथा जन्म–मृत्यु प्रमाण पत्र, आय प्रमाण–पत्र तथा आवासीय प्रमाण–पत्र तथा पंचायत बैंक के रूप में बैंकिग सेवाएँ तथा अन्य ई–गवर्नेन्स सेवायें उपलब्ध करायी जा रही हैं। राज्य के सभी

जिला निबंधन कार्यालयों को कम्प्यूटरीकृत किया गया है। इससे निबंधन के दिन ही निबंधित दस्तावेज प्राप्त हो रहे हैं।

47. हमारी सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2011–12 में माह अप्रैल, 2011 से जनवरी, 2012 तक 3820.53 करोड़ रूपये का राजस्व संग्रहण किया गया है जो गत वर्ष की अवधि में संग्रहित राजस्व 3054.90 करोड़ से 765.63 करोड़ अधिक है। उक्त राजस्व संग्रहण 25 प्रतिशत से अधिक का वृद्धि दर दर्शाता है।

48. 10 विभागों में ई–प्रोक्युरमेन्ट प्रारंभ किया गया है, जिसके द्वारा देश–विदेश से कोई भी सुयोग्य निविदादाता निविदा अवधि में कभी भी इस प्रक्रिया का हिस्सा बन सकते हैं।

49. सरकार द्वारा जनहित में राज्य की आम जनता को राहत देने के उद्देश्य से 75 करोड़ वार्षिक सकल आवर्त्त वाले चावल, धान, दाल, गेहूँ, आटा, मैदा, सूजी, राइस ब्रान, बेसन एवं आलू–प्याज के व्यवसायियों के संव्यवहारों को करमुक्त कर दिया गया है। झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर नियमावली, 2006 में संशोधन करते हुए ऑन लाईन वैट निबंधन, ऑन लाईन कर–वापसी एवं अनुज्ञा प्रपत्रों का ऑन लाईन डाउनलोडिंग करने का प्रावधान किया गया है।

50. जमशेदपुर में एक साफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क एवं इस राज्य में 'लोक–निजी भागीदारी' के आधार पर इंडियन इन्स्टीच्यूट ऑफ इन्फॉरमेशन टेक्नॉलाजी की स्थापना करने की योजना है।

51. रोजगार सृजन के क्षेत्र में पर्यटन तथा हॉस्पिटॉलिटी सेक्टर का विशेष महत्व है। राज्य में हुनर से रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत फूड एवं बिवरेज सर्विस तथा फूड प्रोडक्शन के क्षेत्र में कक्षा आठ पास युवकों एवं युवतियों को जिनकी उम्र 18 से 28 वर्ष के बीच है, को आई0एस0एम0 पुन्दाग तथा बी0आई0टी0 मेसरा के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

52. देवघर जिला अन्तर्गत बाबा मंदिर में लगभग 39.00 करोड़ की लागत से क्यू कम्पलेक्स के निर्माण की स्वीकृति दी गयी है। चालू योजना अन्तर्गत सिमडेगा जिला के रामरेखा धाम में विकास कार्य एवं पूर्वी सिंहभूम जिला अन्तर्गत हाता चौक के समीप मार्गीय सुविधा का निर्माण किया जा रहा है। सरायकेला–खरसावाँ जिला के सीतारामपुर डैम के निकट जल क्रीड़ा हेतु पर्यटकीय विकास का कार्य, कोडरमा के उरवाँ में बैंक्वेट हॉल, कान्फ्रेन्स हॉल, फुड कोर्ट का निर्माण कार्य, खूँटी जिला के अमरेश्वर धाम में

बहुउद्देशीय भवन एवं बासुकीनाथ में पर्यटक सूचना केन्द्र का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

53. राज्य में पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा की व्यवस्था करने हेतु हमारी सरकार कृत संकल्प है। राज्य में पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा उत्पादन, उसके सुदृढ़ संचरण एवं कुशल वितरण के लिए दिशा–निदेश निरूपित किये जा रहे हैं। 12वीं पंचवर्षीय योजना में सभी को अबाधित ऊर्जा उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है और इसके लिए सार्थक प्रयास भी किये जा रहे हैं।

54. राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत् राज्य के 24 जिलों के निर्धारित लक्ष्य उन्नीस हजार दो सौ तेइस के विरूद्ध सोलह हजार आठ सौ साठ गाँवों में आधारभूत संरचना तैयार की गयी है जिसमें से बारह हजार तीन सौ पन्द्रह गाँवों को ऊर्जान्वित किया गया है।

55. श्रमिक वर्ग की खुशहाली में ही राज्य की खुशहाली छुपी है। राज्य में न्यूनतम मजदूरी की दरों पुनरीक्षण करके न्यूनतम मजदूरी की दर को 111/–(एक सौ ग्यारह रुपये) प्रतिदिन से बढ़ाकर 127/–(एक सौ सत्ताईस रुपया) प्रतिदिन किया गया है।

56. झारखण्डी जवानों में प्राकृतिक खेल प्रतिभा है। इसकी झलक हम 34वें 'राष्ट्रीय खेलों' के दौरान देख चुके हैं। ग्रामीण स्तर तक की खेल प्रतिभाओं को समुचित अवसर मिल सके, इसके लिए 'पंचायत युवा क्रीड़ा एवं खेल अभियान योजना' के तहत खेल मैदान, खेल सुविधाएँ ग्राम स्तर तक उपलब्ध करवाई जा रही है। पाईका योजना के अनतर्गत 1000 नये पंचायतों में 'पाईका खेल क्लब' का विस्तार किया जा रहा है।

57. झारखण्ड राज्य में खेल की असीम संभावनाओं को देखते हुए प्रखण्ड स्तरीय स्टेडियम एवं जिला स्तरीय स्टेडियम का निर्माण कराया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों के पुरूष एवं महिला युवाओं की प्रतिभाओं को दिशा देने के उद्देश्य से भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2011–12 से किशोर–किशोरी योजना प्रारंभ की है। इसके अंतर्गत 100 चयनित ग्रामों में पुरूष एवं महिला युवा संस्थानों को 50,000/– रूपये की राशि प्रत्येक वर्ष ग्रामीण क्षेत्र में युवा गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अनुदानित की जायेगी।

58. आर्गेनिक सिल्क–तसर उत्पादन के क्षेत्र में राज्य, देश में अग्रणी स्थान बनाये हुए है। पिछले वर्ष तक 716 मेट्रिक

टन तसर का उत्पादन हमने किया था, इस वर्ष 2011 – 12 में हमने 1000 मेट्रिक टन उत्पादन के लक्ष्य को प्राप्त किया है। वित्तीय वर्ष 2012–13 में यह उत्पादन 1500 मेट्रिक टन करने का बुलन्द इरादा है। झारक्राफ्ट द्वारा प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष लगभग दो लाख लोगों को रोजगार दिया जा रहा है। हमारे झारक्राफ्ट के उत्पाद मारिशस, जर्मनी, इंगलैण्ड, लेबनान, टर्की, अमेरिका एवं आस्ट्रेलिया में अपनी माँग एवं पहचान बढ़ा रहे हैं। आगामी वित्तीय वर्ष में रोजगारोन्मुखी उद्योग स्थापना, फूड पार्क, रांची, सिल्क पार्क, सरायकेला–खरसावां, खादी पार्क, सरायकेला–खरसावां, पी0पी0 मोड इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास, हैण्डी क्राफ्ट, हैण्डलूम लोन माफी, हैण्डलूम/खादी मार्केटिंग इनिसियेटिव, टेक्सटाईल सेक्टर विकास पर विशेष योजनाएं कार्यान्ति करना है। इसमें लगभग 1,00,000 परिवारों को रोजगार से जोड़ा जायेगा।

59. राज्य में पचास हजार महिला रेशम कीटपालकों, पन्द्रह हजार हस्तकरघा क्षेत्र के बुनकरों को एवं पन्द्रह सौ हस्तशिल्प क्षेत्र के शिल्पियों को 'परिवार स्वास्थ्य बीमा' का लाभ पहुँचाने वाला झारखण्ड देश का पहला राज्य बना है।

60. झारखण्ड वनों एवं अन्य प्राकृतिक संपदाओं से परिपूर्ण एक समृद्ध प्रदेश है जिसकी सुरक्षा एवं गरिमा को अक्षुण्ण बनाये रखना हम सबका परम् कर्त्तव्य है। राज्य के कई जिले सुखाड़, बाढ़, वज्रपात, भूकम्प एवं खनन संबंधी आपदाओं के प्रति अति संवेदनशील हैं। आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड सरकार नित नये नवाचारों के माध्यम से आपदाओं के न्यूनीकरण की दिशा में सतत् प्रयत्नशील है।

61. वर्तमान में झारखण्ड राज्य के 24 में से 18 जिले अति–नक्सल प्रभावित हैं तथा शेष जिलों में भी यदा–कदा नक्सल घटनाएँ हो रही हैं। इस समस्या से निपटने के लिये हमारी सरकार प्रतिक्रियात्मक तथा सुधारात्मक दोनों तरीके से प्रयास कर रही है। फलतः एक ओर पुलिस की सक्रियता के कारण घटनाओं की संख्या में गिरावट आई है। दूसरी ओर समाज की मुख्यधारा में लौटने को इच्छुक नक्सलियों को मुख्यधारा में जोड़ने के लिये प्रोत्साहित कर रही है। हमारा पुलिस बल हर तरह से सशक्त हो, इसके लिए बड़े पैमाने पर नियोजन की कार्रवाई की जा रही है।

62. झारखण्ड राज्य में उग्रवाद को रोकने हेतु पुलिस आधुनिकीकरण योजना अंतर्गत आधुनिक शस्त्र, सुरक्षा उपकरण,

वाहनों आदि का क्रय किया गया है। गिरिडीह ,कोडरमा, लातेहार एवं लोहरदगा में पुलिस लाईन का निर्माण कराया जा रहा है। अपराध एवं अपराधियों को Track करने के लिए Crime & Criminal Tracking Network System योजना का कार्यान्वयन कराया जा रहा है।

63. आदिम जन जातियों के लिये इंडिया रिजर्व (आदिम जनजाति) बटालियन का गठन किया गया है। राज्य में मानव के अवैध व्यापार को रोकने के लिये विशेष इकाईयों का गठन खूँटी, गुमला, सिमडेगा एवं दुमका जिलों में किया गया है। राज्य के स्वतंत्रता सेनानियों/आश्रितों को देय विशेष भत्ता को 3000/– रु० से बढ़ाकर 5000/– रु० प्रतिमाह कर दिया गया है।

64. अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 एवं नियम 2008 को अपने राज्य में क्रियान्वित करते हुए, राज्य स्तरीय, जिला स्तरीय एवं अनुमंडल स्तरीय समितियों का गठन पूर्ण हो चुका है। इस अधिनियम एवं नियमावली को छह क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद कर ग्राम सभाओं को उपलब्ध करवाया गया है। अभी तक वनों में निवास करने वालों को 14,109 पट्टा दिया जा चुका है।

65. राज्य के सामान्य जनों को न केवल भूख से सुरक्षा की गारन्टी बल्कि उन्हें पौष्टिक आहार उपलब्ध करवाना हमारी जिम्मेवारी है। इसके लिए कई योजनाएँ राज्य में संचालित की जा रही हैं। स्वतंत्रता दिवस को प्रारम्भ हुई मुख्यमंत्री **दाल–भात योजना** अब प्रखण्ड स्तर तक संचालित हो रही है।

66. राज्य के 35 लाख 38 हजार बी0पी0एल0 परिवारों को 35 किग्रा चावल एक रुपये प्रति किलोग्राम की दर से प्रतिमाह उपलब्ध कराया जा रहा है। राज्य के वैसे दो लाख लाभुकों को **'अन्नपूर्णा योजना'** के अंतर्गत प्रतिमाह 10 किलोग्राम चावल मुफ्त में उपलब्ध कराया जा रहा है, जो राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन पाने के योग्य है, परन्तु किसी कारण से वे इससे वंचित है। राज्य के सभी बी0पी0एल0 परिवारों को प्रतिमाह 50 पैसे की दर पर एक किलोग्राम आयोडीन युक्त नमक उपलब्ध कराने की योजना है।

67. बाल श्रमिक अधिनियम, 1986 के तहत 'झारखण्ड राज्य बाल श्रमिक आयोग' का गठन किया गया है ताकि 14 वर्ष से कम उम्र के बालकों को खतरनाक उद्योगों–व्यवसायों में नियोजन से बचाया जा सके।

68. इस वर्ष प्रवासी मजदूरों के निबंधन एवं पहचान–पत्र जारी करने की योजना प्रारम्भ हुई है ताकि दुर्घटना में घायल होने या मृत्यु होने की स्थिति में उक्त श्रमिक को एक लाख पचास हजार की अनुग्रह राशि प्रदान की जा सके।

69. 'झारखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मचारी कल्याण बोर्ड' का गठन कर अबतक 42500 श्रमिकों का निबंधन कर कई योजनाओं से लाभान्वित किया गया है। कुल 300 से अधिक महिला श्रमिकों के बीच साईकिल वितरण किया जा चुका है। कुल 5000 महिला श्रमिकों को साईकिल उपलब्ध करवाने का लक्ष्य है।

70. हमारी सरकार की यह स्पष्ट सोच है कि जबतक सभी सरकारी विभागों एवं कार्यालयों में पर्याप्त रूप में मानव संसाधन उपलब्ध नहीं होगा, तब तक राज्य में विकासात्मक कार्यक्रमों को आशातीत गति नहीं दी जा सकेगी। इसके लिए जिला एवं सभी अन्य स्तरों पर प्राथमिकता के आधार पर नियुक्ति करने की कार्रवाई की जा रही है, ताकि कार्यान्वित की जा रही सभी योजनाओं एवं कार्यक्रमों का लाभ समयबद्ध रूप से आम जनता तक पहुँचाया जा सके।

71. हमारी सरकार राज्य में भ्रष्टाचार मुक्त शासन प्रदान करने के लिए कृत संकल्प है। स्वच्छ, पारदर्शी, उत्तरदायित्वपूर्ण प्रशासन प्रदान करना हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। राज्य में लोकायुक्त, मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष, मुख्य सूचना आयुक्त, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य जैसे पदों पर सुयोग्य एवं दक्ष लोगों की नियुक्ति की जा चुकी है और संबंधित कार्यालय पूर्णरूपेण क्रियाशील हैं।

72. भ्रष्टाचार पर नियंत्रण हेतु निगरानी विभाग निरन्तर प्रयत्नशील है, और इसका परिणाम आपके सामने है। 156 मामलों में पदाधिकारियों–कर्मियों के विरूद्ध अभियोजन की स्वीकृति प्रदान की गई है जिसमें अखिल भारतीय सेवा के पदाधिकारी से लेकर अन्य संवर्ग के पदाधिकारी–कर्मी सम्मिलित हैं।

73. राज्य में पारदर्शी–गतिशील सुशासन के लिए राज्य में इस वर्ष **इलेक्ट्रॉनिक सर्विस डिलेवरी** कानून लागू किया गया है। अब नागरिकों को प्रमाण–पत्र, परमिट, लाईसेन्स, अभ्यावेदन की रसीदें आदि इलेक्ट्रॉनिक सर्विस के माध्यम से तत्काल मिल जायेगी। इस दिशा में **राईट टू सर्विस ऐक्ट** पारित करना एक

क्रांतिकारी कदम है। झारखण्ड राज्य सेवा गारंटी कानून के तहत आम लोगों को तय सीमा के अन्दर पेंशन, बिजली कनेक्शन, ड्राइविंग लाइसेन्स, नया राशन कार्ड, जाति–आय–आवासीय प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना कानूनी बाध्यता है और जो सरकारी पदाधिकारी–कर्मचारी तय सीमा के अन्दर सेवाएँ उपलब्ध नहीं करवायेंगे, वे दंड के भागी होंगे।

74. वर्षो से लम्बित राज्य की छह महत्वपूर्ण रेल परियोजनाओं के तहत कुल 556 किलोमीटर नई रेलवे लाइन के विस्तार के लिए भारत सरकार के रेल मंत्रालय और हमारी सरकार के बीच 14 फरवरी 2012 को समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। ये रेलवे परियोजनाएँ है :– (I) राँची –हजारीबाग–कोडरमा (200 कि.मी.) (II) कोडरमा–गिरीडीह (105 कि.मी.) (III) कोडरमा–तिलैया (14 कि.मी.) (IV) राँची–लोहरदगा–टोरी तक विस्तार (113 कि.मी.) (V) दुमका–रामपुरहाट (64 कि.मी.) (VI) देवघर–दुमका (60 कि.मी)। 50:50 (पचास–पचास) प्रतिशत के हिसाब से केन्द्र सरकार और हमारी सरकार इन योजनाओं के लिए राशि मुहैय्या करायेगी। फरवरी 2013 तक इन योजनाओं को पूरी होने की उम्मीद है।

75. हमारी सरकार ने देवघर स्थित हवाई पट्टी के विस्तारीकरण, सौन्दर्यीकरण, सुदृढ़ीकरण के लिए भारत सरकार के 'भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण' के साथ एम.ओ.यू. किया है। यह एक बड़ी उपलब्धि है। 350 करोड़ रुपये की इस परियोजना के लिए 300 करोड़ रुपये का सहायता अनुदान योजना आयोग से प्राप्त होगा सिर्फ 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था हमारी सरकार को करनी है। इससे देवघर इस राज्य का दूसरा वैमानिक संचालन हवाई अड्डे के रुप में सक्रिय होगा। अब देवघर से देश के सारे महानगर वायुमार्ग से जुड़ जायेंगे।

76. हमारी सरकार ने अपनी छोटी मियाद में कई महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ हासिल की है। 32 वर्षों के अन्तराल के बाद पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन का सफलतापूर्ण सम्पन्न होना, 34वें राष्ट्रीय खेलों का गरिमापूर्ण आयोजन, राज्य की आर्थिक वृद्धि की दर का 11 प्रतिशत की ऊँचाई प्राप्त करना एवं राज्य के योजना मद के बजट का 62 प्रतिशत की अभिवृद्धि, ऐसे मील के पत्थर हैं जिन पर हमें गर्व है।

77. माननीय सदस्यगण, मैंने अभी आपके सामने अपनी सरकार की विशेष नीतियों, प्राथमिकताओं और योजनाओं की एक

संक्षिप्त सी बानगी पेश की है। इसी सत्र में आपके आगे बजट प्रस्तुतीकरण के मौके पर मौजूदा योजनाओं की उपलब्धियों एवं महत्वपूर्ण योजनाओं की विस्तार से जानकारी का एक और मौका हासिल होगा। इसी सत्र में वित्तीय वर्ष 2012–13 का आय–व्ययक और चालू वित्तीय वर्ष के लिए अनुपूरक माँगें भी आपके आगे रखी जायेंगी, जिनको और उनसे जुड़े विनियोग विधेयक को पारित करने की आपसे उम्मीद होगी।

78. राष्ट्रीय मानक के आधार पर प्रतिदिन 92.30 लाख लीटर दूध उत्पादन की आवश्यकता के विरूद्ध 10वीं पंचवर्षीय योजना काल के प्रारंभ में प्रतिदिन दूध उत्पादन 26 लाख लीटर से बढ़ाकर 11वें पंचवर्षीय योजना के वर्ष 2011–12 के अंत तक 58.36 लाख लीटर प्रतिदिन दुग्ध उत्पादन का अनुमान है। राज्य के छात्र–छात्राओं को तथा अग्रणी मत्स्य कृषकों को मात्स्यिकी प्रौद्योगिकी की पढ़ाई हेतु राज्य से बाहर नहीं जाना पड़े इसके लिए राज्य में मात्स्यिकी प्रौद्योगिकी महाविद्यालय की स्थापना की जायेगी।

79. आखिर में, मैं, आप सभी को इस मौके पर यह भी याद दिलाना चाहूँगा कि देश और राज्य में जनतंत्र की खूबसूरत

तस्वीर और सुनहरा भविष्य, इस बात पर निर्भर करता है कि सदन के भीतर और बाहर इस पावन सदन के माननीय सदस्यगण का आचरण और व्यवहार कैसा है। मुझे पूरा यकीन है कि आप अपने संयत व्यवहार और गरिमापूर्ण आचरण से हमेशा इस सदन की गरिमा और शान को बनाये रखेंगे। आप सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद करते हुए कहना चाहूँगा कि आप सभी आपसी दलीय भेद–भाव भुलाकर राज्य की सादगी से भरी, मासूम, ईमानदार और मेहनती अवाम के ख्वाबों, ख्वाहिशों और उम्मीदों को पूरा करने में एकजुट हो जाए। मुझे उम्मीद है कि हमारी सरकार की निरन्तर कोशिशों को आपसबों की जोरदार मदद मिलेगी।

जय हिन्द। **जय झारखण्ड।**

झा०रा०मु०राँची (मंत्रिमंडल) 3--300--3-3-2012 ।